

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत मुकाम मुख्यालय तहसील बनेड़ा
:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

अधिकारी - श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

संख्या : 15/2015 राजस्व वाद

उनवान

याकुब खां पिता कबीर अहमद खां मुसलमान निवासी अलीनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

— (वादीगण)

बनाम

1. इसहाक खां पिता हकीम खां मुसलमान निवासी अलीनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. मुस्ताक खां पिता हकीम खां मुसलमान निवासी अलीनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. महबूब खां पिता हकीम खां मुसलमान निवासी अलीनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. चान्द बेगम पुत्री हकीम खां मुसलमान निवासी अलीनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. जुलेखा बेगम पुत्री हकीम खां मुसलमान निवासी अलीनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. मोहम्मद आजाद खां पिता हसन खां मुसलमान निवासी अलीनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. बेगम बानू पिता हसन खां मुसलमान निवासी अलीनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. फिरोज बानू पिता हसन खां मुसलमान निवासी अलीनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
9. नफीसा बानू पिता हसन खां मुसलमान निवासी अलीनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
10. रईसा बानू पिता हसन खां मुसलमान निवासी अलीनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
11. महफूज बानू पिता हसन खां मुसलमान निवासी अलीनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
12. अजीज खां पिता मोहम्मद नबी खां मुसलमान निवासी अलीनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
13. निजामुद्दीन खा पिता सलीम खा मुसलमान निवासी अलीनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
14. असमा बानु पत्नि गुलाम मो० पठान निवासी अलीनगर, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
15. मोहम्मद शेर पठान पिता अब्दुल खा पठान, निवासी अलीनगर, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
16. रफीक मो० पिता शहादत खा पठान निवासी अलीनगर, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर०टी०ए० बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित -

1. श्री कृष्ण कुमार जीनगर (अधिवक्ता वादी)

दिनांक- 25.04.2017

वादी की और से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार जीनगर उपस्थित। उक्त वाद को अन्तिम डिक्री हेतु विभाजन प्रस्ताव के रूप में पूर्व में जारी प्रारम्भिक डिक्री पर तैयार किये गये प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की है। जिसका प्रस्ताव तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। माफिक विभाजन प्रस्ताव ग्राम अलीनगर प०ह० बैरा भू०अ०निरिक्षक क्षेत्र वृत्त बैरा तहसील बनेड़ा का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है:-

1. असमा बानू पत्नि गुलाम मोहम्मद मोहम्मद शेर पि० अब्दुल खां रफीक खां पि० शहादत अली खां पठान सा० देह खातेदार

आ०न०	रकबा	लगान
8/3	1.06 बीघा	5.07
कुल 01	रकबा 1.06बीघा	5.07

2. याकुब खां पिता कबीर अहमद खां मुसलमान सा० खातेदार

अधिकारी
जिला भीलवाड़ा

53 188 आर०टी० ए०
बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

आ0न0	रकबा	लगान
14/3	0.07 बीघा	0.14
8/4	5.02 बीघा	19.89
कुल 02	रकबा 5.09बीघा	20.03

इसहाक खां मुस्ताक खां महबुब खां चान्द बेगम जुलेखा बेगम पिता हकीम खां मोहम्मद आजाद खां बेगम बानु फिरोज बानु नफीसा बानु रईसाबानु महफुज बानु पिता हसन खां महबुब खां पिता हकीम खां अजीज खां पिता मोहम्मद नबी खां अहमद खां पिता कबीर अहमद खां निजामुदीन खां पिता सलीम खां पठान मुसलमान सा0देह खातेदार

आ0न0	रकबा	लगान
8	4.05 बीघा	16.58
14	0.08 बीघा	00.20
कुल 02	रकबा 4.13बीघा	16.78

इसहाक खां मुस्ताक खां महबुब खां चान्द बेगम जुलेखा बेगम पिता हकीम खां मोहम्मद आजाद खां बेगम बानु फिरोज बानु नफीसा बानु रईसाबानु महफुज बानु पिता हसन खां महबुब खां पिता हकीम खां अजीज खां पिता मोहम्मद नबी खां अहमद खां पिता कबीर अहमद खां निजामुदीन खां पिता सलीम खां याकुब खां पिता कबीर अहमद खां मुसलमान सा0देह खातेदार

आ0न0	रकबा	लगान
8/5	0.08 बीघा	1.56
कुल 01	रकबा 0.08बीघा	1.56

जलदुत्तर भूमि वादीगण संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 के मध्य क्रम संख्या 1 से 4 तक रहेगा। तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 16 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादीगण के हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य को कर्तव्य। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को ज्ञात हो।

आज दिनांक 25.04.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार, बनेडा को पालनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा
बनेडा जिला भीलवाड़ा

539 188 आर. ए. ए. ए.
बाबा धरपे जाने निगाह रखी